



कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष
254-260 अद्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा
चेन्नै 600 014

**Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah
Chennai 600 014.**

असाधारण आम बैठक की सूचना
सोमवार, 10 फरवरी, 2014 को चेन्नै में
पूर्वाह्न 10.00 बजे

**Notice of Extra-ordinary General Meeting
Monday, the February 10, 2014 at 10.00 a.m.
at Chennai**

विषयवस्तु

पृष्ठ संख्या

| | |
|-----------------------|----|
| सूचना | 3 |
| टिप्पणियाँ | 4 |
| स्पष्टीकरणात्मक विवरण | 4 |
| प्राक्सी फार्म | 9 |
| उपस्थिति पर्ची | 11 |

CONTENTS

Page No.

| | |
|-----------------------|----|
| Notice | 6 |
| Notes | 7 |
| Explanatory Statement | 7 |
| Form of Proxy | 10 |
| Attendance Slip | 12 |

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सोमवार, फरवरी 10, 2014 को पूर्वाह्न **10.00 बजे** इंडियन बैंक के शेयरधारकों की **असाधारण आम बैठक**, इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

अधिमानी आबंटन के जरिए भारत सरकार (जीओआई) को ईक्विटी शेयर जारी करना

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में आशोधन-सहित या आशोधन-रहित पारित करने पर विचार करना और सही माने जाने पर पारित करना।

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) और समय समय पर संशोधित इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य कोई प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, प्रतिबंध, यदि हो, के अध्यक्षीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित की जानेवाली शर्तों एवं निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन, जिनपर बैंक के निदेशक मंडल ने सहमति प्रकट की हो और सेबी (पूजी जारीकरण और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियमन, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारिबैंक द्वारा और अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमनों के अध्यक्षीन और बैंक के ईक्विटी शेयर जहाँ सूचीबद्ध हैं, उन स्थानों के स्टॉक एक्सचेंज जिनके साथ लिस्टिंग करार किया गया है, उसके अध्यक्षीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर उसे बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” शब्द से जाना जाएगा, तथा उसमें माना जाएगा कि बोर्ड द्वारा गठित/गठित की जानेवाली समिति शामिल होगी ताकि वे अपने अधिकारों का, जिसमें इस संकल्प के जरिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग भी शामिल है, प्रयोग कर सकें) को प्रदान किया जाता है जिससे वह सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76 (1) के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जानेवाले परिवर्तन मूल्य पर, प्रत्येक शेयर ₹.100 मूल्यवाले 4,00,00,000 पीएनसीपीएस (शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर) को सृजित, प्रदान, जारी एवं परिवर्तन के जरिए, अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयर आबंटित करने में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

“आगे संकल्प किया जाता है कि एतद् द्वारा जारीकरण मूल्य के निधारण के लिए नियत तारीख शुक्रवार, 10 जनवरी 2014 होगी।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड / ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिनके साथ बैंक के शेयर सूचीबद्ध किये गए हैं / या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा ऐसे निर्गम, आबंटन और सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, अनुमति, सहमति और स्वीकृति प्रदान करते समय और बोर्ड द्वारा सहमत रूप से प्रस्ताव में अपेक्षा की गई रूप से या लागू किए अनुसार किसी प्रकार के आशोधन को स्वीकृत करने के प्राधिकार और अधिकार प्राप्त होगा।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि अब जारी किए जानेवाले कथित ईक्विटी शेयर, बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के बराबर माने जाएंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू रहनेवाले सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि हो, को पाने के पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजनार्थ एतद् द्वारा बोर्ड को प्राधिकार प्रदान किया जाता है कि वह अपने विवेक के अनुसार ऐसे सभी कार्य, कृत्य, काम या कदम उठाएँ जिसे वह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित और वांछित मानता हो और ईक्विटी शेयरों के जारीकरण के मामले में उठ सकनेवाले प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों का समाधान करें और आगे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, काम करें या कदम उठाएँ, यथावश्यक, वांछित या लाभकारक सभी प्रलेख और लिखित दस्तावेजों को अंतिम रूप दें व निष्पादित करें जो वह अपने पूर्ण विवेक पर उचित, ठीक या वांछनीय मानता हो तथा उसे शेयरधारकों से आगे किसी प्रकार की सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और यह आशय स्पष्ट है कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के जरिए स्पष्ट रूप से इसके लिए पूर्णतः अपना प्राधिकार प्रदान किया है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद् द्वारा प्राधिकार प्रदान किया जाए कि वह इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को या कार्यपालक निदेशक को या बैंक के अन्य किसी अधिकारी को, जिसे वह उचित समझता है, उपयुक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रत्यायोजित करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

टी एम भरीन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : चेन्नै
दिनांक : जनवरी 11, 2014

टिप्पणियाँ :

1. बैठक के कारोबार के संबंध में तात्विक तथ्य देनेवाला स्पष्टीकरण विवरण, इसके साथ संलग्न है।
2. **प्रतिनिधि की नियुक्ति**
बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखने वाले शेरधारक को अपने बदले बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी हक है और ऐसे प्रतिनिधि का, बैंक का शेरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, वह बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष के पास बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन के पहले अर्थात् बुधवार, फरवरी 05, 2014 को बैंक के बन्द होने के समय पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि बैंक के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी को समय-समय पर आशोधित विनियमनों के प्रावधान के अनुसार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
3. **एक प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**
कोई भी व्यक्ति, किसी भी कॉर्पोरेट निकाय, जोकि बैंक का शेरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसको विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, अर्थात् बुधवार, फरवरी 05, 2014 को या उससे पहले बैंक बंद होने के समय के पूर्व जमा नहीं की जाती। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित प्रतिनिधि फार्म, यदि हो, तभी प्रभावी होगा जब उसे अन्य दस्तावेजों के साथ बैंक के पास ऊपर उल्लिखित पते पर बुधवार, फरवरी 05, 2014 को या उससे पहले बैंक के बंद होने के समय पूर्व जमा किया जाता है।
कृपया नोट करें कि बैंक के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी को समय-समय पर आशोधित विनियमनों के प्रावधान के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
4. **उपस्थिति पर्ची – सह – प्रविष्टि पास**
शेरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रविष्टि पास को इस सूचना के साथ संलग्न किया गया है। शेरधारकों/प्रतिनिधित्वधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची को भरें तथा उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। किसी शेरधारक के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची-सह-प्रविष्टि पास पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करेंगे।

स्पष्टीकरण विवरण

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (पूँजी निर्गम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2009 की अपेक्षानुसार किये जानेवाले स्पष्टीकरण विवरण तथा प्रकटीकरण :

ए. अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य :

बैंक की प्रदत्त पूँजी में रु.400 करोड के मूल्य के शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेर (पीएनसीपीएस) शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक शेर रु.100 मूल्यवाले 4,00,00,000 शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेर (पीएनसीपीएस) हैं जिनके लिए संबंधित तारीख को रेपो दर के साथ बेंचमार्क किया गया कूपन जुड़ा हुआ है। संपूर्ण पीएनसीपीएस, भारत सरकार द्वारा धारित है।

बेसल III के मानदण्डों के अनुसार टियर I पूँजी में पीएनसीपीएस को 100 प्रतिशत भारिता के लिए परिकलित नहीं किया जाएगा। तदनुसार बैंक ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपने पास पूर्णतः धारित पीएनसीपीएस को ईक्विटी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार करें ताकि बैंक बेसल III के मानदण्डों की पूर्ति कर सकें। आगे पीएनसीपीएस को ईक्विटी में परिवर्तित करने से टियर I/ टियर II पूँजी के अंतर्गत बेसल III के अनुपालन में बाण्ड प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक सुविधा तथा सशर्त संस्थागत प्लेसमेंट / सार्वजनिक ऑफरों के अनुवर्तन के जरिए ईक्विटी जारी करने में सुविधा मिलेगी। भारत सरकार ने अपने पत्र सं.एफ.सं.11/17/2013-बीओए दिनांक 6 जनवरी 2014 के जरिए पीएनसीपीएस को ईक्विटी शेर के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनुमोदन दिया है बशर्ते कि शेरधारक, सेबी और अन्य प्राधिकारी उसे अनुमोदित करते हैं।

पीएनसीपीएस को ईक्विटी के रूप में परिवर्तित करने से भारत सरकार को निधि का बहिर्प्रवाह नहीं होगा।

बी. यह समूचा अधिमान्य निर्गम भारत सरकार को जारी किया जाता है और सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुरूप निर्गम मूल्य का निर्धारण किया जाएगा।

सी. अधिमान्य निर्गम के पूर्व और बाद में शेयर धारिता पैटर्न :-

| क्र. सं. | वर्ग | निर्गम के पूर्व (11 जनवरी 2014 को) | | निर्गम के बाद | |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | धारित शेयरों की संख्या | शेयरधारिता का प्रतिशत | धारित शेयरों की संख्या | शेयर धारिता का प्रतिशत |
| ए. | प्रवर्तक की शेयर धारिता (भारत सरकार) | 34,38,20,000 | 80.00 | ** | ** |
| बी. | गैर प्रवर्तक शेयर धारिता | 8,59,50,000 | 20.00 | 8,59,50,000 | ** |
| | कुल | 42,97,70,000 | 100.00 | ** | 100.00 |

** भारत सरकार को किए जानेवाले अधिमान्य निर्गम में, सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जानेवाले प्रीमियम पर नकदी पर जारी किए जानेवाले रु.10 प्रत्येक के ऐसी संख्या के इक्विटी शेयर होंगे जिनका योग रु.400 करोड़ बनता हो।

डी. सेबी आईसीडीआर विनियमनों में बताए गए रूप से निर्धारित समय मानदण्डों के अन्दर बैंक जारीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के प्रयास करेगा।

ई. चूंकि भारत सरकार को, जो बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक है, संपूर्ण निर्गम करने का प्रस्ताव किया गया है, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

एफ. भारत सरकार का निर्गम-पूर्व और निर्गम के बाद की शेयरधारिता निम्न प्रकार होगी :-

| | शेयरों की सं. | पूँजी के प्रतिशत के रूप में |
|------------------------------------|---|---|
| निर्गम पूर्व (11 जनवरी 2014 को) | 34,38,20,000 | 80.00% |
| निर्गम के बाद | ** ऊपर सी) में दी गई टिप्पणियों के अनुसार | ** ऊपर सी) में दी गई टिप्पणियों के अनुसार |

जी. बैंक के इक्विटी शेयरों को छह महीने से अधिक समय के लिए लिस्टिंग किया गया है तथा तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

एच. भारत सरकार को जारी तथा आबंटित किए जानेवाले सभी शेयरों को ट्रेडिंग अनुमोदन होने की तारीख से तीन साल तक अवरुद्ध किया जाएगा।

आई. भारत सरकार के समूचे पूर्व-अधिमान्य होल्डिंग को स्टॉक एक्सचेंजस द्वारा प्रदत्त ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से संबंधित तारीख शुरू होने से छह महीने की अवधि तक अवरुद्ध किया जाएगा।

जे. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, कि निर्गम को इन विनियमनों की अपेक्षाओं के अनुरूप जारी किया गया है, को असाधारण आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

के. भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डीमैट रूप में रखे गए हैं तथा बैंक ने इक्विटी शेयरों के अनवरत लिस्टिंग की शर्तों का पालन किया है, जैसाकि उस स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार में सूचित है, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयरों का लिस्टिंग किया गया है।

एल. भारत सरकार ने संबंधित तारीख के पूर्व छह महीने के दौरान कोई इक्विटी शेयरों की बिक्री नहीं की है।

एम. स्टॉक एक्सचेंजस के साथ बैंक द्वारा निष्पादित लिस्टिंग करार के खंड 23 की अपेक्षानुसार जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर लिस्टिंग किए जाते हैं तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के अध्याय VII के अनुसार बैंक ने भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर प्रस्तावित इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम के लिए शेयरधारकों से विशेष संकल्प के जरिए अनुमोदन मांगा है।

एन. बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, इक्विटी शेयरों की कीमत का पुनः परिकलन करने के लिए वचनबद्ध है।

आपके निदेशकगण संस्तुत करते हैं कि सूचना में दिए अनुसार विशेष संकल्प पारित किया जाए।

बैंक के किसी निदेशक को विशेष संकल्प से कोई संबंध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

टी एम भसीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : चेन्नै
दिनांक : जनवरी 11, 2014



NOTICE

NOTICE is hereby given that an **Extraordinary General Meeting of the shareholders of Indian Bank will be held on Monday, the February 10, 2014, at 10.00 a.m. at IMAGE Auditorium, M R C Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai-600 028** to transact the following business:

Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GOI)

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) and Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended from time to time (the Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot by conversion of 4,00,00,000 PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preferential Shares) of ₹.100/- each into such number of Equity shares of the Bank at such conversion price as determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations on preferential basis to Government of India.”

“RESOLVED FURTHER THAT Relevant Date for determination of the Issue Price is Friday, January 10, 2014.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors

Place: Chennai
Date: January 11, 2014

T M Bhasin
Chairman & Managing Director

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.
2. **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Corporate Office of the Bank at its Investor Services Cell, not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the February 05, 2014. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of the Regulations as amended from time to time.

3. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVES**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or anybody corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Corporate Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the February 05, 2014. The proxy form if any, executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the February 05, 2014 at the above mentioned address. Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of the Regulations as amended from time to time.

4. **ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

Explanatory Statement**Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.****a) Objects of the Preferential Issue**

The Paid-up Capital of the Bank includes Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹. 400.00 crore, consisting 4,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹. 100/- each with a coupon benchmarked to Repo Rate on the relevant date. The entire PNCPS is held by the Government of India.

The PNCPS will not be reckoned for 100% weightage under Tier I Capital as per Basel III norms. Accordingly, Bank had requested Government of India to consider the proposal for conversion of PNCPS entirely held by them into equity to enable the Bank to meet the Basel III requirements. Further, conversion of PNCPS into equity will also create headroom for raising Basel III compliant bonds under Tier I / Tier II Capital and also issuing of equity through Qualified Institutional Placement / Follow-on Public Offers. The Government of India, vide letter F.No.11/17/2013-BOA dated January 06, 2014, conveyed approval for conversion of PNCPS into equity shares subject to approval of shareholders, SEBI and other authorities.

The conversion of PNCPS into equity will not result in any outflow to the Government of India.

- b)** This entire preferential issue is being issued to Government of India and the Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations.

c) Shareholding Pattern before and after the Issue

| Sl. No. | Category | Before the Issue (As on January 11, 2014) | | After the issue | |
|---------|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | No. of shares held | Percentage of shareholding | No. of shares held | Percentage of shareholding |
| A | Promoter's Holding (Government of India) | 34,38,20,000 | 80.00 | ** | ** |
| B | Non –Promoter Holding | 8,59,50,000 | 20.00 | 8,59,50,000 | ** |
| | Total | 42,97,70,000 | 100.00 | ** | 100.00 |

**The Preferential Issue to Government of India will be of such number of equity shares of Rs. 10/- each for cash at a premium to be determined by the Board in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating upto Rs. 400 crore.

- d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- e) As the entire issue is proposed to be made to the Government of India, the majority shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.
- f) The Pre and Post issue shareholding of Government of India would be as under:

| | Number of Shares | Percentage to Capital |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Pre- issue (As on January 11, 2014) | 34,38,20,000 | 80.00% |
| Post -issue | ** as per remarks given at c) above | ** as per remarks given at c) above |

- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations 2009 are not applicable.
- h) All the shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval as granted by the stock exchanges
- i) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges.
- j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the 'Issue Price' and the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.
- m) As required in Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the Stock Exchanges where the Bank's Equity Shares are listed and Chapter VII of SEBI ICDR Regulations, 2009, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Government of India on preferential basis.
- n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.

None of the Directors of the Bank are individually concerned or interested in the Special Resolution.

By order of the Board of Directors

Place: Chennai
Date: January 11, 2014

T M Bhasin
Chairman & Managing Director



कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष,
254-260 अक्वे षण्मुगम सालै, रायपेट्टा,
चेन्नै 600 014

प्रॉक्सी फार्म
(शेयरधारकों द्वारा भरा जाए)

| | | | |
|---|--|--|--|
| पंजीकृत फोलियो संख्या | | डीपी आईडी | |
| | | क्लाइंट आईडी | |
| (यदि शेयर डीमेटेरियलाइज नहीं किये गए हो तो) | | (यदि शेयर डीमेटेरियलाइज किये गए हो तो) | |

मैं / हम, राज्य के जिले के
..... निवासी हैं, इंडियन बैंक का / के शेयरधारक होने के नाते एतद् द्वारा श्री / श्रीमती
जो राज्य के जिले के
..... निवासी हैं, को या उनके द्वारा न हो पाने पर श्री / श्रीमती
जो राज्य के जिले के निवासी है को सोमवार,
10 फरवरी, 2014 को प्रातः 10.00 बजे इमेज सभागार, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में और उसके किसी
स्थगन पर आयोजित की जानेवाली इंडियन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में मेरी
/ हमारी ओर से मतदान करने के लिए नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

आज दिनांक 2014 को हस्ताक्षरित

कृपया 15
पैसे का राजस्व
सर्टिफिकेट

.....
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर
नाम
पता
.....
.....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और उसे दायर करने के लिए अनुदेश

1. प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक
क) वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत नहीं किया जाता है ;
ख) संयुक्तधारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है।
ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।
2. प्रॉक्सी की लिखत किसी शेयरधारक द्वारा, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता / सकती है, तो यदि उसका चिह्न उस पर लगाया जाता है और किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्यूरेंस सब-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इंडियन बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो उसे पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा।
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित नहीं हो और निम्नलिखित पते पर कम से कम वार्षिक आम बैठक की तारीख के चार दिन पहले मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार के साथ, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति जोकि किसी नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पहले ही जमा नहीं की गई हो और बैंक के साथ पंजीकृत नहीं की गई हो।

| | |
|--|--|
| इंडियन बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय निवेशक सेवा कक्ष, दूसरा तल, 254-260 अक्वे षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 | केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600002 |
|--|--|

4. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगी।
5. प्रॉक्सी की लिखत विकल्प के रूप में दो लोगों के पक्ष में दिए जाने के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
6. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित की हो, उसे असाधारण आम बैठक में, जिससे ऐसी लिखत संबंधित हो व्यक्तिगत रूप से वोट करने का हकदार नहीं होगा।
7. कोई भी व्यक्ति जो इंडियन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।



**Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah
Chennai 600 014**

PROXY FORM

(To be filled by the shareholders)

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Regd. Folio No. | | DP ID | |
| | | Client ID | |
| (If shares are not dematerialised) | | (If shares are dematerialised) | |

I / We,resident(s) of..... in the district ofin the State of being a shareholder / shareholders of the **Indian Bank** hereby appoint Shri / Smt. resident ofin the district of in the State of or failing him / her, Shri / Smt. resident of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the **INDIAN BANK** to be held on Monday, the February 10, 2014 at 10.00 a.m. at **IMAGE Auditorium, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028** and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2014.

| |
|--|
| Please affix 15 paise Revenue Stamp |
|--|

Signature of the Proxy

Signature of the first / sole Shareholder

Name
Address
.....
.....

Instructions for signing and lodging the proxy form:

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in case of individual shareholders, it is signed by the shareholder or his / her attorney duly authorised in writing;
 - in case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney duly authorised in writing;
 - in case of body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Bank.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, together with Power of Attorney or other authority, if any under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

| | |
|---|--|
| Indian Bank Corporate Office, Investor Services Cell, 2 nd Floor No.254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai 600 014 | Cameo Corporate Services Limited Unit : Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai 600 002 |
|---|--|

- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extra-ordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of INDIAN BANK.



कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष,
254-260 अक्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा,
चेन्नै 600 014

उपस्थिति पर्ची
(स्थान में प्रवेश करते समय वापस किया जाए)

दिनांक : फरवरी 10, 2014

समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे

स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| पंजीकृत फोलियो | | डीपी आईडी | |
| | | क्लाइंट आईडी | |
| (यदि शेयर डीमैटरीयलाइज नहीं किये गए हो तो) | | (यदि शेयर डीमैटरीयलाइज किए गए हा तो) | |
| शेयरधारक का नाम | | | |
| शेयरों की संख्या | | | |

मैं, फरवरी 10, 2014 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028, में आयोजित बैंक की असाधारण आम बैठक में इसके द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

| | |
|--|--|
| शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | |
|--|--|



कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष,
254-260 अक्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा,
चेन्नै 600 014

एंट्री पास
(बैठक के दौरान अपने पास ही रखा जाए)

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| पंजीकृत फोलियो | | डीपी आईडी | |
| | | क्लाइंट आईडी | |
| (यदि शेयर डीमैटरीयलाइज नहीं किये गए हो तो) | | (यदि शेयर डीमैटरीयलाइज किए गए हो तो) | |
| शेयरधारक का नाम | | | |
| शेयरों की संख्या | | | |

| | |
|--|--|
| शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | |
|--|--|

स्थान में प्रवेश हेतु, शेयरधारकों / प्राक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पंजी को बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर करके, एंट्री पास के साथ प्रस्तुत करें। फिर भी, प्रवेश सत्यापन / जाँच के अधीन होगा जैसा आवश्यक माना जाए। किसी भी स्थिति में बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर कोई डूब्लिकेट उपस्थिति पर्ची सह एंट्री पास जारी नहीं किया जाएगा।



**Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah
Chennai 600 014.**

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : February 10, 2014

Time : 10.00 a.m.

Venue: IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Regd. Folio | | DP ID | |
| | | Client ID | |
| (If shares are not dematerialised) | | (If shares are dematerialised) | |
| Name of the Shareholder | | | |
| Number of Shares | | | |

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on February 10, 2014 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

| | |
|--|--|
| Signature of the Shareholder / Proxy / Authorized Representative | |
|--|--|



**Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah
Chennai 600 014.**

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Regd. Folio | | DP ID | |
| | | Client ID | |
| (If shares are not dematerialised) | | (If shares are dematerialised) | |
| Name of the Shareholder | | | |
| Number of Shares | | | |

| | |
|--|--|
| Signature of the Shareholder / Proxy / Authorized Representative | |
|--|--|

Shareholders / proxy holders / authorized representatives are requested to produce the above Attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signature registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.